न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 2021	01.09.2021	11.11.2021

अनवान

1. गोपीलाल पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता शंकरलाल जाति गाडरी(पूर्बिया) आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. डालू पिता हीरालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गोपीलाल पिता मेघा जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– प्रार्थी स्वयं।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 01.09. 2021 को प्रस्तुत किया । प्रार्थी आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र गोराजी का निम्बाहेडा में हाजिर हुआ। हाजिर प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा सुनी गई। जिसमें प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 596 कुल किता 1 रकबा 0.11 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन [illegible] चाहते है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर [illegible] घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। साथ ही प्रार्थी ने आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की प्रार्थना पत्र में सहवन से जाति जाट दर्ज हो गयी है जबकि अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जाति गाडरी (पूर्बिया) है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में जाति सही अंकित की गयी।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 596 कुल किता 1 रकबा 0.11 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 13:00:08 IST
Reason: SelfAttested